मिट्टी का तेल

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल का आवंटन पूर्ववृत्त के आधार अर्थात्, पिछली आपूर्तियों के आधार पर, किया जाता है। समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों से अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। तथापि, उत्पाद की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और इसमें अंतर्ग्रस्त भारी सब्सिडि जैसी बाधाओं के कारण राज्यों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। फिर भी, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा सम्पूर्ण देश के लिए समग्र रूप में मिट्टी के तेल के आवंटन में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई थी जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिनमें प्रति व्यक्ति उपभोग की क्षमता कम थी उनको अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई थी और इसके विपरीत भी आवंटन किया गया था।

पिछले चार महीनों के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आपूर्ति किए गए मिट्टी के तेल के आंकड़े अनुपत्र में दिए गए हैं। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 12]**

दिल्ली में उपभोक्ता न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

190. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में स्थापित विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन न्यायालयों के कथित प्रभावहीन कार्यकरण के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) दिल्ली में उपभोक्ता न्यायालयों की शक्तियां तथा न्याय अधिकार क्षेत्र, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के संगत उपबंधों के तहत शासित होते हैं, जिनमें उन शिकायतों के बारे में निर्णय करने की शक्ति शामिल है, जहां वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य तथा दावाकृत मुआवजा, यदि कोई हो तो उसकी रकम पांच लाख रुपए से अधिक न हो। जिला मंच I के क्षेत्राधिकार में उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, केन्द्रीय तथा उत्तर-पश्चिम पुलिस जिलों में पड़ने वाले पुलिस स्टेशनों से संबंधित मामले आते हैं तथा जिला मंच II के क्षेत्राधिकार में पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण तथा नई दिल्ली पुलिस जिलों में पड़ने वाले पुलिस स्टेशनों से संबंधित मामले आते हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में जिला मंच संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही उपभोक्ता शिकायतों को निपटाने की दृष्टि से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में दो और जिला मंच स्थापित करने का निर्णय किया है।

आयातित सामान का मूल्य

191. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक सरकार ने कितने मूल्य का सामान विदेशों से आयात किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष आयात किए गए सामान का मूल्य पिछले वर्ष, अर्थात 1994-95 में आयातित सामान से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो यह आयात कितना ज्यादा है और इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) डी जी सी आई एस के अनुमानों के अनुसार अप्रैल-मई, 96 के दौरान कुल आयात (चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध ताजा आंकड़े) 6.3 बिलियन यू एस डालर के हुए। 1995-96 के दौरान कुल आयात 36.4 बिलियन यू एस डालर मूल्य के हुए जो 1994-95 में हुए कुल आयातों से 26.9% अधिक हैं।

(ग) आयातों में वृद्धि का प्रमुख कारण आवश्यक वस्तुओं जैसे-पेट्रोलियम और उर्वरक, द्रव्यमान उपभोक्ता वस्तुएं जैसे-खाद्य तेल और पूंजीगत वस्तुओं का अधिक आयात। त्वरित औद्योगिक उत्पादन और निर्यात के लिए आवश्यक कच्चा माल और मध्यवर्ती सामान का अधिक आयात होना है।

(घ) घरेलू उत्पादन और निर्यातों को बढ़ाने के लिए नीति और संवर्धनात्मक योजनाओं के जरिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आयात प्रतिस्थापन और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए देश में उत्पादित